मनीराम बनाम तेजाराम वगैरह
दावा क्रमांक 24/2023
सीसीएनएस क्रमांक 2023/50

— :: आदेश ::—

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री नेम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।

वादी मनीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रातंगा के खेत खसरा नम्बर 508 रकबा 0.9712 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 511 रकबा 2.9785 हैक्टेयर पूरा व खेत खसरा नम्बर 126/1134 रकबा 0.6475 हैक्टेयर में से 0.3238 हैक्टेयर नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

प्रतिवादी संख्या 2 सुखदेव के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा रतंगा के खेत खसरा नम्बर 1024 रकबा 1.4245 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 109 रकबा 1.9911 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 126/1165 रकबा 0.8094 हैक्टेयर पूरा एवं खेत खसरा नम्बर 126/1134 रकबा 0.6475 हैक्टेयर में से 0.3237 हैक्टेयर नजरी नवशानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाति है।

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 क्रमशः तेजाराम व कमा के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्युटि जमा होने पर राजस्व रिकोर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।

फिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्रि आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे यमानुसार हक तर्क के लिए आवश्यक स्टाम्प शुल्क प्राप्त कर माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व कॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 16... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले यालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

Scanned with CamScanner